

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone:25487217/25487267

Ref: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन DCSEM/Enft/2021/541

नवंबर November 17, 2021

परिपत्र/ CIRCULAR

विषय: कोविड-19 महामारी आपदा प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए निर्देश।
Sub: Directions for Containment and Management of Covid-19 Epidemic Disaster.

निदेशालय के दिनांक 23 अगस्त 2021 के परिपत्र के क्रम में उपरोक्त विषय पर, जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संदर्भ संख्यां कोरोना 2021/सी.आर./366/आरोग्य-5 दिनांक 24 सितंबर 2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत मुंबई के अणुशक्तिनगर एवं पऊवि कॉलोनियों के सभी कर्मचारियों/निवासियों/धार्मिक स्थलों के प्रबंधन ट्रस्ट को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है। In continuation to this Directorate's Circular dated 23rd August 2021, all employees/residents/management trust of religious places of Anushaktinagar and DAE colonies in Mumbai are required to adhere to the following guidelines/restrictions issued by Government of Maharashtra under Ref.No.Corona2021/C.R.366/Arogrya-5 dated 24th September 2021 (copy enclosed) issued by Public Health Department on the above subject:

- 1. धार्मिक स्थल Religious Places:** धार्मिक स्थल और पूजा स्थल सभी दिनों में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा, 24 सितंबर 2021 के आदेश के अनुलग्न -ए में उल्लिखित धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर एसओपी का ईमानदारी से पालन किया जाना है। Religious places and places of worship will be allowed to remain open from 6 a.m. to 10 a.m. and 6 p.m. to 10 p.m. on all days. Further, SOP on preventive measures to contain spread of Covid 19 in religious places/places of worship as mentioned in Annexure -A of order dated 24th September 2021 to be followed scrupulously.
- 2. विवाह संबंधी समारोह Marriage Related Functions:** विवाह संबंधी समारोह (सगाई, हल्दी, संगीत, मेहंदी, और स्वागत) को निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी: Marriage related functions (engagement, haldi, sangeet, mehendi, and reception) will be allowed to be conducted with the following restrictions:
 - a) इनडोर वेन्यू :** अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी जाएगी।
Indoor Venue: Allowed with maximum of 100 people.
 - b) आऊटडोर वेन्यू (लॉन्स/खुली जगह):** अधिकतम 200 लोगों को मोहना लॉन्स, एलोरा लान्स एवं शांतिनिकेतन लॉन्स के लिए अनुमति दी जाएगी।
Outdoor Venue (Lawns/Open space): Mohana Lawn, Ellora Lawn and Shantiniketan Lawn allowed with a maximum of 200 people.
 - c) अन्य सभी लॉन्स में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी।**
All other lawns will be allowed only with a maximum of 100 people.

- 3) **सेक्टर मार्केट में दुकान संख्या 5 को फिर से खोलना Reopening of Shop No.5, Sector Market:** प्रदर्शनी-सह-बिक्री आयोजित करने के लिए दुकान संख्या 5, दिनांक 1 दिसंबर 2021 से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक ही समय पर दुकान के अंदर 4 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दें। यह आयोजक की एकल जिम्मेदारी होगी कि वह चेन तोड़ने के संबंध में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन अतिसतर्कता पूर्व से करें। Will be allowed to reopen for conducting exhibition-cum-sale from 1st December 2021 onwards. Not more than 4 persons to be allowed inside the shop at a time. It would be the sole responsibility of the organizer that all guidelines issued by the Government of Maharashtra from time to time regarding Break the Chain are followed scrupulously.

टिप्पणि Note: जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिनांकित 24 सितंबर 2021 के संदर्भ संख्या कोरोना2021/सीआर/366/आरोग्य-5 (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत महाराष्ट्र सरकार के आदेश में उल्लेखित सभी शर्तों/दिशानिर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करें। All conditions/guidelines as mentioned in Annexure A of Government of Maharashtra's Order under Ref.No.Corona2021/C.R.366/ Arogrya-5 dated 24th September 2021 issued by Public Health Department (copy enclosed) to be followed scrupulously.

मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों/निवासियों/धार्मिक स्थलों के प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा प्रतिबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुंबई स्थित अणुशक्तिनगर एवं पऊवि की कॉलोनियों के निवासियों से सहयोग की अपेक्षा है। CSO, Anushaktinagar may ensure that the guidelines are followed and co-operation of all employees/residents/management trust of religious places of Anushaktinagar and DAE Colonies in Mumbai is solicited for effective implementation of the guidelines issued by Government of Maharashtra.

इसे निदेशक, नि.से.सं.प्र.नि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Director, DCSEM.

शैलजा प्रकासम
17/11/2021

(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर एवं पऊवि कॉलोनियों के सभी कर्मचारियों/निवासियों/धार्मिक स्थलों के प्रबंधन ट्रस्ट - सूचना पट्ट द्वारा संबंधित अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से- प्रदर्शन/व्यापक प्रसार हेतु All employees/residents/management trust of religious places in Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai through Notice Board - Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy to:

1. नियंत्रक, भापअके Controller, BARC
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar
3. मुंबई के पऊवि यूनिटों के सभी प्रधान All Heads of DAE units in Mumbai
4. सचिव आरवा, मारवा, डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए Secretary, ARWA, MRWA, WSRWA and Associations of DAE Colonies in Mumbai.